

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
जिला जोधपुर

राजस्व विधि प्रार्थना पत्र संख्या 9014/2021
प्रार्थी

2021/129

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

कलक्टर

किसम नुक्राना- अन्तर्गत धारा 131,136 एल.आर.एक्ट 1956
हुक्म या कार्यवाही नव इनिशियलस जज

तारीख हुक्म

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म को
जारी है
जारी हुए


26/5/2021

तहसीलदार लूणी के द्वारा प्राप्त मूअनिलेख आयुनिजीकरण
कार्यक्रम (DILRMP)के तहत जमाबन्दी में मौजूद खसरो को राजस्व
नक़्तों में दर्ज खसरो से वन-टू-वन मिलान के मध्यमाजर जिन
खसरो में रेकार्ड मौका व नक़्तों में भिन्नता आ रही है तथा कुछ खसरे
मूल गाव से नये राजस्व गाव का रेकार्ड तैयार करते सेवन से खसरो
नम्बर एक दूसरे गाव में इन्दाज हो गया जिसे राजस्व नक़्तों अनुसार
सही गाव की सीमा में इन्दाज किया जाना आवश्यक है। अतः ऐसे
खसरो को मूल गाव व नाय राजस्व गाव में आदल बादली का
प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। प्रस्तावित खसरे में हल्का पटवारी ~~अर्कर~~
423/1, 423/2, 423/3, 423/4
423/5, 423/6, 423/7 ग्राम निवासी के कुल खसरा 07

रकबा 68.18 ~~वर्ग~~ मव अनुसंधान
मूअनिरीक्षक ~~अर्कर~~ एवं तहसीलदार लूणी से

प्राप्त हुये जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान मूराजस्व
अधिनियम की धारा अन्तर्गत 131,136 के तहत मूल प्रस्ताव स्वीकार
किया जाकर तहसीलदार लूणी को माफिक प्राप्त मूल प्रस्ताव अनुसार
(DILRMP)के तहत रेकार्ड में विभाजन का रेकार्ड दुरुस्ती करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।


सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी